अध्याय II
एसएएसएफ और सरकार

2.1 एसएएसएफ को आईडीबीआई के एनपीएज़ का हस्तांतरण

मार्च 2004 तक आईडीबीआई की नोन परफार्मिंग परिसम्पत्तियां लगभग ₹ 9000 करोड़ थी। एसएएसएफ को इन स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के बाद आईडीबीआई के एनपीएज 2002-03 के दौरान 14 प्रतिशत से सितम्बर 2004 में 2 प्रतिशत तक तेजी से गिरे ।

इन परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण में भारत सरकार द्वारा किए गए संव्यवहार में कोई तत्काल नकद व्यय शामिल नहीं है। भारत सरकार ने उस न्यास को ₹ 9000 करोड़ का ऋण दिया जिसने बदले में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई शुन्य ब्याज की सरकार विशेष प्रतिभूति और 20 वर्षों में विमोच्य में राशि का निवेश किया था। प्रतिभूतियों को समान राशि के एनपीएज के बदले में आईडीबीआई को न्यास द्वारा प्रदान कर दिया गया था। न्यास को एनपीएज के हस्तांतरण की व्यवस्था आईडीबीआई की नोन परिफार्मिंग परिसम्पत्तियों की लागत के बराबर था। कार्य की मौजूदा योजना के अनुसार भारत सरकार को 2024 में वसूल नही की गई शेष परिसम्पत्तियों के मूल्य तक विशेष प्रतिभूतियों को छोड़ना होगा। इसके बावजूद व्यवस्था में कोई तत्काल नकद व्यय शामिल नहीं था। जब प्रतिभूतियों को छोड़ा जाता है तब यह उक्त के लिए देयता का सृजन करती है।

इस प्रकार, भारत सरकार ने प्रभाविकता से भविष्य देयता के सृजन द्वारा आईडीबीआई के एनपीएज की जिम्मेदारी ली। चूककर्ता उधारकर्ताओं की सहायता के अलावा इसने आईडीबीआई के दूसरे शेयर धारकों को भी लाभ पहुँचाया क्योंकि हस्तांतरण के समय भारत सरकार के पास कुल शेयरों का 58.47 प्रतिशत (अनुबंध III) था।

2.2 वसूल की गई निधि भारत सरकार को सौंपना

न्यास करार के अनुसार, न्यासी स्ट्रेस्ड परिसम्पत्त्यिों की वसूली करेगा और वसूल की गई राशि का भुगतान सरकार को करेगा तथा प्रत्येक फरवरी के अन्त में सरकार न्यास से प्राप्त की गई राशि का भुगतान आईडीबीआई को करेगी। विशेष प्रतिभूतियों को सरकार से प्राप्त भुगतान की सीमा तक छोड़ा जाएगा। 2004-05 से 2012-13 से आईडीबीआई की दर्शाई गई निर्धारित वसूली, वसूली गई राशि, छोड़ी गई राशि और शेष राशि से संबंधित ब्यौरों को नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

वर्ष	निर्धारित वसूली	वसूल की गई राशि	छोड़ी गई राशि
2004-05	1000.00	200.50	134.00
2005-06	650.00	723.38	637.00
2006-07	1500.00	927.68	863.00
2007-08	750.00	756.73	750.00
2008-09	400.00	281.16	475.00
2009-10	400.00	322.68	300.00
2010-11	300.00	332.53	300.00
2011-12	300.00	224.26	300.00
2012-13	300.00	302.22	300.00
कुल	**5,600.00**	**4,071.14**	**4,059.00**

निर्धारित वसूली के तुलना में ₹ 1,528.86 करोड़ की वसूली में गिरावट थी।

अधिकतर वसूली न्यास की शुरूआती अवधि में अर्थात 2005-06 और 2007-08 के बीच की गई थी। इसके पश्चात वसूल की गई राशि में विशेष गिरावट आई जो दर्शाती है कि बाकी बचे मामले अधिक जटिल और दुश्कर हैं।

2.3 आईडीबीआई द्वारा एसएएसएफ के व्ययों की प्रतिपूर्ति

न्यास की प्रशासन संबंधी सभी लागतें न्यास करार के खण्ड 18 (सी) के अनुसार आईडीबीआई द्वारा वहन की गई है। उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों के संरक्षण पर हुए ₹ 72.86 करोड़ के व्यय (2004-05 से 2011-12 तक) की प्रतिपूर्ति आईडीबीआई को उधारकर्ताओं से की गई वसूलियों से की गई थी। लेकिन न्यास के लिए परिसम्पत्तियों के संरक्षण पर हुए व्यय का वहन आईडीबीआई द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के उदग्रहण से ऐसी राशि की वसूली के लिए न्यास करार में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु न्यास करार का खण्ड 18 (सी) स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि न्यास की प्रशासन संबंधी सभी लागतों का वहन आईडीबीआई द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, इस राशि को भी भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ऐसा न करके भारत सरकार का उत्तरदायित्व काफी हद तक बढ़ गया है क्योंकि स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों की पूर्ण वसूली असम्भव है, इसलिए, भारत सरकार को 2024 में बकाया विशेष प्रतिभूतियों को छोड़ना पड़ेगा।

अपने जवाब में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचना दी कि चूंकि न्यास करार का खण्ड 18(सी) बताता है कि आईडीबीआई न्यास के प्रशासन संबंधी व्ययों का वहन करेगा, इसलिए एसएएसएफ की राशि को लौटाने के लिए बैंक को निर्देश देने का निर्णय लिया गया था।